

दविश के दौरान 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा दविश के दौरान 02 वारण्टी 1- नाम पता हरीश चंद्र पुत्र राजेश्वरी निवासी गोनौरा 2 – रामरेखा पुत्र पनेश्वर निवासी अमृत महुआ थाना महुली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05-05-05 लीटर कुल 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त 1 - नाम पता मोलहू पुत्र सुमेर 2 – तुफानी पुत्र भोला निवासी गण तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 03 - रंगीलाल पुत्र संतराम निवासी अजगरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 456 / 2020 व 457 / 2020 तथा 458 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – जोगिन्दर पुत्र दयाराम 2 – विदेशी पुत्र रामशंकर निवासीगण रामपुर बारकोनी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 747 / 2020 व 748 / 2020 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 14 95 द्वारा विवाद कर रहे लोगों का कराया गया शांत – पीआरवी 1495 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 07733 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेहदावल को सुपुर्द किया गया ।

पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत करा दिया गया , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 रमायन शर्मा, आ0 हरिशंकर यादव, हो0चा0 प्रदीप कुमार पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 141 वाहनो से 131100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 26-12-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 141 वाहनो से 131100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26-12-2020

संतकबीरनगर पुलिस के हत्थे चढ़े गैंगेस्टर एकट के वांछित 02 अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **डा0 कौरस्तुभ** के मार्गदर्शन , अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संजय कुमार** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री गयादत्त मिश्र** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 26.12.2020 को समय 09.00 बजे प्रभारी निरीक्षक दुधारा के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 409 / 2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एकट थाना दुधारा में वांछित 02 अभियुक्त 1- मोहम्मद शकील 2- वारिस अली को नौवागांव तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1-मोहम्मद शकील पुत्र अमीन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।

2-वारिस अली पुत्र मो0 शकील निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री श्रीप्रकाश यादव, उ0नि0 श्री चन्द्रभान सिंह, हे0का0 रामदरस यादव, का0 आशुतोष सिंह, का0 मायाशंकर यादव।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26-12-2020

संतकबीरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा जिला बदर अपराधी

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन , अपर पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व वांछित अभियुक्त/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा जिलाबदर अपराधी नाम पता अब्दुल हलीम पुत्र अब्दुल वहीद निवासी छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 414 / 20 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 14-08-2020 को जिलाबदर घोषित किया गया था जो कि आदेशों का उल्लंघन करते हुए जनपदीय सीमा में रह रहा था जिसे दिनांक 26/27.12.2020 की रात्रि को महुली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री पारसनाथ यादव, हे0का0 मो0 आरिफ, का0 शैलेन्द्र उपाध्याय ।